



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 413 संख्या- 413/2026

गणेशी प्रसाद

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : विपुल कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय द्वारा पारित)

1- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- इस आपराधिक अपील में हमीरपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 212 वर्ष 2022 (राज्य बनाम नीतेंद्र कुमार), जो मुकदमा अपराध संख्या 353 वर्ष 2021, अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं., थाना राठ, जनपद हमीरपुर से उद्भूत है, में पारित दिनांक 31.03.2026 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचनाकर्ता/अपीलकर्ता गणेशी प्रसाद ने अपने पुत्र संदीप का शव बरामद होने के संबंध में दिनांक 28.07.2021 को 00:21 बजे मृत्यु सूचना (FAUTI-REPORT) प्रदर्श क-2 प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका पुत्र दिनांक 26.07.2021 को सायं 6:00 बजे से लापता था तथा उसे अपने पुत्र का शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई और उसने अपने मृत पुत्र के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया। उक्त मृत्यु सूचना प्रदर्श क-2 को जी.डी. संख्या 3, प्रदर्श क-4 में दर्ज किया गया। उपनिरीक्षक दीपक तिवारी, अ.सा.-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6 ने दिनांक 28.07.2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक मृतक के शव की पंचायतनामा कार्यवाही की। पंचायतनामा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मृतक के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, अ.सा.-

3 ने दिनांक 28.07.2021 को अपराह्न 2:00 बजे पोस्टमार्टम किया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक-3 तैयार की। इसके पश्चात सूचनाकर्ता/अपीलकर्ता ने दिनांक 28.07.2021 की एक अन्य लिखित रिपोर्ट/तहरीर प्रदर्शक-1 प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पुत्र का शव बरामद होने से 12 घंटे पूर्व से वह लापता था। उसके पुत्र की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसके मृत पुत्र के शरीर पर कई चोटें पाई गई हैं।

4- उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट/तहरीर प्रदर्शक-1 के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 353 वर्ष 2021, अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं., थाना राठ, जनपद हमीरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।

5- डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, अ.सा.-3, जिन्होंने दिनांक 28.07.2021 को अपराह्न 2:00 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया, ने मृतक की आयु लगभग 20 वर्ष आकलित की। मृतक की लंबाई 169 सेमी थी, उसका शरीर मध्यम एवं सामान्य गठन का था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं तथा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। शरीर में कठोरता (Rigor Mortis) विद्यमान थी। शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक ने मृतक के शव पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई:-

(i)- दाहिनी आंख के ऊपर 7 सेमी x 4 सेमी का रक्तरंजित घाव मौजूद था।

(ii)- दाहिनी ओर दाढ़ी में 7 सेमी x 4 सेमी का रक्तरंजित घाव मौजूद था।

(iii)- दाहिनी ठोड़ी के नीचे 5 सेमी x 1.5 सेमी का खरोंच का घाव मौजूद था।

(iv)- बाईं ठोड़ी के बाहरी भाग पर 7 सेमी x 2 सेमी का रक्तरंजित घाव मौजूद था।

(v)- चोट संख्या (iv) के ठीक नीचे 6 सेमी x 2 सेमी का खरोंच का घाव मौजूद था।

(vi)- बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर 2 सेमी x 1.5 सेमी का चीरा हुआ घाव पाया गया, जो टूटी हुई भी थी।

(vii)- दाहिने हाथ की छोटी उंगली के बाहरी भाग पर 3 सेमी x 0.8 सेमी का चीरा हुआ घाव था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(viii)- सिर के दाहिने ओर पश्चकपाल अस्थि पर 6 सेमी x 1 सेमी x 0.3 सेमी का चीरा हुआ घाव था।

(ix)- बाईं ओर पश्चकपाल अस्थि पर 3 सेमी x 1 सेमी का रक्तरंजित घाव था।

(x)- पश्चकपाल अस्थि पर 7 सेमी x 1 सेमी का रक्तरंजित घाव था।

(xi)- सिर के दाहिने ओर ललाट एवं पार्श्विका अस्थियों पर 6 सेमी x 1 सेमी x 1.5 सेमी का चीरा हुआ घाव था। खोपड़ी की सभी अस्थियां टूटी हुई थीं।

आंतरिक परीक्षण करने पर दोनों फेफड़े विफल पाए गए, हृदय खाली था तथा उसके पेट में 50 मिलीलीटर द्रव पाया गया। छोटी आंत एवं बड़ी आंत भी आधी भरी हुई पाई गई।

चिकित्सक ने राय दी कि मृतक की मृत्यु 36 से 48 घंटे पूर्व हुई हो सकती है तथा मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण उत्पन्न आघात एवं रक्तस्राव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक-3 है।

6- निरीक्षक राजेश चंद्र त्रिपाठी, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना राठ ने विवेचना अपने हाथ में ली, सूचनाकर्ता एवं अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, उस स्थान का स्थल-मानचित्र तैयार किया जहां से मृतक का शव बरामद हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु सूचना (फौती रिपोर्ट), पंचायतनामा रिपोर्ट एवं अन्य कागजात एकत्र किए। विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त एवं मृतक के मोबाइल की सी.डी.आर. भी एकत्र की। उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन तथा अपराध में प्रयुक्त हथियार, अर्थात् डंडा एवं ईंटें बरामद की गईं। इसके पश्चात उन्होंने बरामदगी स्थल का स्थल-मानचित्र तैयार किया तथा उसकी बरामदगी मेमो तैयार की।

7- विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, यहां अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 नीतेंद्र कुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, उस पर संज्ञान लिया गया और प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, संबंधित सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

8- अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने अ.सा.-1 गणेश प्रसाद @ गणेशी (सूचनाकर्ता एवं मृतक के पिता), अ.सा.-2 मुन्ना (मृतक के सगे चाचा), अ.सा.-3 डॉ. अखिलेश कुमार सिंह (शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक), अ.सा.-4 शत्रोहन सिंह (प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अ.सा.-5 वीर पाल (पक्षद्रोही साक्षी), अ.सा.-6 उपनिरीक्षक दीपक तिवारी, अ.सा.-7 रामदीन @ रामधीन (स्वतंत्र साक्षी/पक्षद्रोही साक्षी), अ.सा.-8 खेमचंद्र (पक्षद्रोही साक्षी) तथा अ.सा.-9 राजेश चंद्र त्रिपाठी (विवेचना अधिकारी) को प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य दिए तथा अभियोजन के 17 दस्तावेज भी सिद्ध किए, जिन्हें प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया। उनका विवरण निम्नवत् सारणीबद्ध है:-

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति	सिद्ध किए गए दस्तावेज
अ.सा.-1	गणेशी प्रसाद	सूचनाकर्ता, जो मृतक का पिता एवं तथ्य का साक्षी है। उसने शव की बरामदगी, मृत्यु सूचना तथा लिखित रिपोर्ट/तहरीर दिए जाने के संबंध में बयान दिया है। वह बरामदगी का भी साक्षी है।	लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1, मृत्यु सूचना प्रदर्श क-2
अ.सा.-2	मुन्ना	सूचनाकर्ता का भाई एवं मृतक का सगा चाचा, जो अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्षी है।	
अ.सा.-3	डॉ. अखिलेश कुमार सिंह (शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक)	चिकित्सक, जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया।	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3
अ.सा.-4	शत्रोहन सिंह (कांस्टेबल लिपिक)	औपचारिक साक्षी, जिसने चेक प्रथम सूचना रिपोर्ट	जी.डी. प्रविष्टि प्रदर्श क-4, जी.डी. प्रविष्टि प्रदर्श क-5, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति	सिद्ध किए गए दस्तावेज
----------------	-----	--------------------	-----------------------

तैयार की तथा जी.डी. में
प्रविष्टि की।

अ.सा.- वीर	पाल	अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्षी, लेकिन पक्षद्रोही हो - गया।
5	(दुकानदार)	

अ.सा.- उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी, जिसने	पंचायतनामा रिपोर्ट प्रदर्श क-7, पुलिस पेपर
6	दीपक तिवारी	संख्या 13 प्रदर्श क-8, फोटो नैश प्रदर्श क- 9, मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र प्रदर्श क- 10
		पंचायतनामा अर्थात् शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की।

अ.सा.-	रामदीन @	अंतिम बार साथ देखे जाने
7	रामधीन	तथा मृतक एवं अभियुक्त के
	(दुकानदार)	मध्य झगड़े का स्वतंत्र साक्षी, लेकिन पक्षद्रोही हो गया।

अ.सा.- खेमचंद्र		अंतिम बार साथ देखे जाने
8	(दुकानदार)	का साक्षी, लेकिन पक्षद्रोही हो - गया।

अ.सा.- राजेश	चंद्र	स्थल-मानचित्र प्रदर्श क-11, गिरफ्तारी मेमो
9	त्रिपाठी	प्रदर्श क-12, मोबाइल, डंडा एवं ईंट की बरामदगी मेमो प्रदर्श क-13, मृतक का मोबाइल बरामद होने के स्थान का स्थल- मानचित्र प्रदर्श क-14, हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद होने के स्थान का स्थल- मानचित्र प्रदर्श क-15, आरोप-पत्र प्रदर्श क-
		विवेचना अधिकारी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति	सिद्ध किए गए दस्तावेज
----------------	-----	--------------------	-----------------------

16, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श क-17। सादी मिट्टी, रक्तरंजित मिट्टी, ईट, डंडे के टुकड़े एवं मोबाइल को क्रमशः भौतिक प्रदर्श-1 से 5 के रूप में अंकित किया गया।

9- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात, अभियोजन द्वारा जिन सभी प्रतिकूल/अभिकथित परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के आदेशानुसार अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 के समक्ष प्रश्नोत्तर के रूप में घटना के संबंध में उसका पक्ष जानने हेतु रखा गया। उसने एक-एक करके उसके समक्ष रखे गए सभी सुझावों का खंडन किया और बार-बार कहा कि यह झूठ है अथवा उसे झूठे तौर पर फंसाया गया है अथवा अभियोजन का प्रकरण झूठा है अथवा अभियोजन साक्षियों के बयान झूठे हैं।

10- आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.03.2026 द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 को उसके विरुद्ध विरचित धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

11- अतः उक्त निर्णय से व्यथित होकर सूचनाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

12- अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय प्रथमदृष्टया अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

13- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि सूचनाकर्ता का पुत्र दिनांक 26.07.2021 की शाम को अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियोजन साक्ष्य में यह आया है कि मृतक वीर पाल की दुकान पर समोसा खा रहा था, तभी अभियुक्त ने उसे उसके मोबाइल पर फोन किया और उसके पश्चात दोनों शौच के लिए एक तालाब की ओर साथ-साथ गए। सूचनाकर्ता अ.सा.-1 ने अपने पुत्र की हत्या के पीछे के उद्देश्य को भी सिद्ध किया है। मृतक को डंडे एवं ईट से निर्ममतापूर्वक पीटा गया था, जिन्हें अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त, अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने यह भी सिद्ध किया है कि मृतक का मोबाइल फोन भी अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। अतः अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला की सभी कड़ियों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने में सक्षम रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत दर्ज अभियुक्त के बयान में कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है और इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला की सभी कड़ियां पूर्ण हैं। अतः अभिलेख पर आई सभी दोषसिद्धि-सूचक परिस्थितियां निस्संदेह अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य परिकल्पना नहीं है।

14- उपर्युक्त आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत पठन किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा है। अभियोजन ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है, किंतु विचारण न्यायालय ने इसकी विवेचना नहीं की और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दोषमुक्ति का निष्कर्ष गलत रूप से दर्ज कर दिया। अतः उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि उपर्युक्त के दृष्टिगत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने में त्रुटि की है। अतः आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है और यह अपील स्वीकार की जाए।

15- दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में विधि अथवा तथ्य की ऐसी कोई अवैधता नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने को उचित ठहराए। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियोजन के प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण किया है और प्रकरण के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने किसी भी साक्ष्य का गलत अर्थ भी नहीं निकाला है, जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों/कारणों से स्पष्ट है, जो उसके निर्धारण के लिए सामने आए थे। अतः अवर न्यायालय ने सही रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन उस मूल कहानी को ही सिद्ध करने में विफल रहा है, जिसे वह सिद्ध करने के लिए आगे आया था। अवर न्यायालय ने सही रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अंतिम बार साथ देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, अभियोजन घटना का स्थान स्थापित करने में विफल रहा है तथा अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के बयान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अत्यधिक विरोधाभासी हैं। अभियोजन हत्या में प्रयुक्त हथियारों अर्थात् डंडे एवं ईंटों की बरामदगी को भी सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। अतः अवर न्यायालय ने अभियुक्त को सही रूप से दोषमुक्त किया है। अंत में, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त के दृष्टिगत आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता है। अतः विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

16- हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा उपर्युक्त तर्कों के आलोक में अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण किया, जो संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं।

17- अवर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय निम्नलिखित कारण/निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

(i)- सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) को अपने पुत्र संदीप की मृत्यु के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को सायं 6:00 बजे सूचना प्राप्त हुई। अ.सा.-1 ने दिनांक 28.07.2021 को 00:21 बजे अपने पुत्र संदीप का शव बरामद होने के संबंध में लिखित सूचना प्रदर्शक-2 प्रस्तुत की। यह मृत्यु की साधारण सूचना अर्थात् फौती रिपोर्ट थी।

(ii)- मृतक के शव की पंचायतनामा कार्यवाही दिनांक 28.07.2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की गई। शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार सिंह (अ.सा.-3) ने दिनांक 28.07.2021 को अपराह्न 2:00 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) ने दिनांक 28.07.2021 को 20:20 बजे अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पुत्र की हत्या के संबंध में लिखित रिपोर्ट/तहरीर प्रदर्शक-1 प्रस्तुत की।

(iii)- अ.सा.-1 ने कहा है कि दुकानदार वीर पाल और उसके भाई मुन्ना लाल (अ.सा.-2) ने उसे बताया कि मृतक को वीर पाल एवं उसके भाई मुन्ना लाल ने अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 के साथ अंतिम बार देखा था। अ.सा.-1 ने कहा कि दुकानदार वीर पाल ने उसे बताया कि उसका पुत्र उसकी दुकान पर समोसा खा रहा था, तभी अभियुक्त ने उसके पुत्र को मोबाइल पर फोन किया और उसके पश्चात दोनों दिनांक 26.07.2021 को सायं 6:00 बजे शौच के लिए साथ-साथ चले गए। उसने (अ.सा.-1) यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने भी दिनांक 26.07.2021 को वीर पाल की दुकान पर अपने पुत्र संदीप को समोसा खाते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए देखा था। अ.सा.-1 ने यह भी कहा कि उसके भाई मुन्ना लाल ने उसे बताया कि उसने दिनांक 26.07.2021 को सायं 5:45 बजे मृतक को अभियुक्त के साथ तालाब की ओर जाते हुए देखा था और मुन्ना लाल ने यह तथ्य उसे दिनांक 26.07.2021 को सायं 6:00 बजे बताया था।

(iv)- सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नीतेंद्र का नाम नहीं लिया है। अतः उसके साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए जाने के कारण, उसका साक्ष्य इस अभियोजन कहानी की पुष्टि करने वाला नहीं पाया गया कि अभियुक्त नीतेंद्र ने उसके पुत्र संदीप की हत्या की थी।

(v)- मुन्ना @ मुन्ना लाल (अ.सा.-2) ने अपने बयान में कहा है कि उसने दिनांक 26.07.2021 को सायं 7:00 बजे मृतक को अभियुक्त नीतेंद्र के साथ कमला देवी स्कूल की ओर जाते हुए देखा था और उसने यह तथ्य अपने भाई अर्थात् अ.सा.-1 को दिनांक 27.07.2021 को प्रातः 8:00/8:30 बजे बताया था। उसने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर, जहां संदीप का शव पाया गया था, पंचायतनामा कार्यवाही समाप्त होने के बाद पहुंचा था। तथापि, उसने यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब मृतक के शव को अभी सील नहीं किया गया था। उसने कहा कि उसने मृतक और अभियुक्त को तालाब के पास नहीं देखा था, बल्कि उसने उन्हें तालाब से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर देखा था। उसने यह भी कहा कि अपने भाई को यह सूचना देने के बावजूद कि उसने मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा था, अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, क्योंकि उनकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी नहीं थी। अतः अ.सा.-2 के बयान में विरोधाभास पाए जाने के कारण, उसका साक्ष्य इस अभियोजन कहानी की पुष्टि करने वाला नहीं पाया गया कि अभियुक्त नीतेंद्र ने संदीप की हत्या की है।

(vi)- मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के संबंध में अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे और उक्त साक्ष्य श्रुतलेखित साक्ष्य के साथ-साथ अनुमानों पर भी आधारित पाया गया।

(vii)- अभियोजन यह सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(viii)- मृतक की हत्या के पीछे किसी षड्यंत्र का संकेत देने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।

(ix)- अभियोजन अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन अपराध के पीछे किसी उद्देश्य को भी सिद्ध करने में विफल रहा है।

18- उपर्युक्त निष्कर्ष दर्ज करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अभियुक्त-विपक्षी के विरुद्ध विरचित आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा है।

19- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक दोषमुक्ति का समर्थन करने वाला और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत करने वाला, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के आदेश को उलट नहीं देना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 (4) एससीसी 415 : एआईआर 2007 एससीसी (पूरक) 111 का संदर्भ लिया जा सकता है।

20- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौड़ार बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"39- अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित सिद्धांतों की चारदीवारी के भीतर किया जाना है:-

(a)- दोषमुक्ति का निर्णय स्पष्टतः विकृतता से ग्रस्त हो;

(b)- उक्त निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य के गलत पठन/उस पर विचार करने में चूक पर आधारित हो;

(c)- कोई दो युक्तियुक्त दृष्टिकोण संभव न हों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से केवल वही दृष्टिकोण संभव हो, जो अभियुक्त के दोष के अनुरूप हो।

40. अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए, यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने का इच्छुक है, तो उसे उपर्युक्त कारकों के संबंध में प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21- उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय में यह भी टिप्पणी की गई है कि अपीलीय न्यायालय को, तथापि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है। प्रथम, आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मूल सिद्धांत के अंतर्गत निर्दोषता की उपधारणा उसके पक्ष में उपलब्ध रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता। द्वितीय, अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात, उसकी निर्दोषता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा और अधिक पुष्ट, पुनः अभिपुष्ट एवं सुदृढ़ हो जाती है। यह भी टिप्पणी की गई है कि अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निकाला जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह है कि अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध है और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

22- **गेमिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 10 एससीसी 636** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप विरल तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन तथा निकाले गए निष्कर्षों की पुनः जांच करना खुला है। तथापि, यह उन प्रकरणों तक सीमित है, जहां विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत हो। न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि विधि में समझे जाने वाले "विकृत" शब्द का अर्थ "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" समझा गया है। यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और विचारण न्यायालय ने उनमें से एक दृष्टिकोण अपनाया है, तो केवल इसलिए कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभाव्य है, अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा।

23- वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रकरण है। अतः प्रश्नगत घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा **शरद बृजिधचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 (4) एससीसी 116** के प्रकरण में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 153 एवं 154 वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक हैं, जिनमें न्यायालय ने अभियुक्त के दोष का अनुमान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगाए जाने के लिए मूल्यांकन किए जाने वाले मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, उन्हें निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:-

153- इस निर्णय के सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को पूर्णतः सिद्ध कहा जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(1)- जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए।

यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि इस न्यायालय ने संकेत किया था कि संबंधित परिस्थितियां "must or should" अर्थात् "अवश्य या होनी चाहिए" स्थापित की जानी चाहिए और "may be" अर्थात् "हो सकती हैं" नहीं। "सिद्ध की जा सकती हैं" और "अवश्य या होनी चाहिए सिद्ध की गई हों" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793 : 1973 एससीसी (Cri) 1033 : 1973 आपराधिक एलजे1783] में अभिनिर्धारित किया गया था, जहां निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (आपराधिक) पृष्ठ 1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व उसका दोषी होना आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए, केवल दोषी होना संभाव्य होना पर्याप्त नहीं है और "हो सकता है" तथा "अवश्य होना चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत अधिक है तथा यह अस्पष्ट अनुमान और निश्चित निष्कर्ष के बीच अंतर करती है।

(2)- इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उनकी व्याख्या अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर नहीं की जा सके।

(3)- परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4)- उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए।

(5)- साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जिसमें अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार शेष न रहे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि समस्त मानवीय संभाव्यता में उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



154- ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि ऐसा कहा जाए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण को सिद्ध करने के पंचशील का गठन करते हैं।

24- जब किसी प्रकरण में उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, तब ऐसे प्रकरण में न्यायालय का कार्य अपराध किए जाने के उद्देश्य का पता लगाना होता है, ताकि उसे अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने से जोड़ा जा सके। इस संबंध में शरद वीरिधिचंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 (4) एससीसी 116 के प्रसिद्ध निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों का तत्पश्चात बड़ी संख्या में प्रकरणों में बार-बार अनुसरण किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार, 2018 (2) एससीसी 69 का प्रकरण भी सम्मिलित है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 एवं 10 में न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में अभियुक्त के दोष पर विचार किए जाने की रीति को स्पष्ट किया है। तदनुसार, निर्णय के पैराग्राफ 9 एवं 10 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है।

"9- अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे सुस्पष्ट एवं दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए और वे परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, जो निस्संदेह अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियों को संचयी रूप से लेने पर वे साक्ष्य की एक पूर्ण श्रृंखला का गठन करें और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई कड़ी छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध की गई परिस्थितियां केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत होनी चाहिए।

10- परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में दोष का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है, जब सभी दोषसिद्धि-सूचक तथ्य एवं परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत पाई जाएं। त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था:-

"12- परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में सामान्य सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे सुस्पष्ट एवं दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए; वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जो निस्संदेह अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों; सभी परिस्थितियों को संचयी रूप से लेने पर वे इतनी पूर्ण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्रृंखला का गठन करें कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई मार्ग न हो कि समस्त मानवीय संभाव्यता में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और उनकी व्याख्या अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर संभव न हो तथा वे उसकी निर्दोषता के साथ असंगत हों।"

25- इसी सिद्धांत को आगे राज्यस्थान राज्य बनाम काशी राम, (2006) 12 एससीसी 254, गणेश लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2002) 1 एससीसी 731, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, (2000) 1 एससीसी 471 तथा तमिलनाडु राज्य बनाम राजेंद्रन, (1999) 8 एससीसी 679 के प्रकरणों में भी दोहराया गया है।

26- प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए अभियोजन का यह दायित्व है कि वह ऐसी सामग्री प्रस्तुत करके अपने प्रारंभिक भार का निर्वहन करे, जिसके आधार पर अभियुक्त को सम्मिलित करने वाले अपराध के कारित किए जाने का निष्कर्ष निकाला जा सके। प्रारंभिक भार का यह निर्वहन अनिवार्य है, जैसा कि अनेक प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया गया है तथा जॉयदेब पात्रा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2014 (12) एससीसी 444 के प्रकरण में पुनः दोहराया गया है, जिसमें पैराग्राफ 10 में न्यायालय ने निम्नवत् निर्णय दिया है:-

10- हमें खेद है कि हम श्री घोष के इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। इस न्यायालय ने बार-बार अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है और केवल जब यह भार पूरा कर दिया जाता है, तभी अभियुक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत अपने विशेष ज्ञान में आने वाले किसी तथ्य को सिद्ध करके यह स्थापित कर सकता है कि वह दोषी नहीं है। सुचा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2001) 4 एससीसी 375 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

"19- हमने इंगित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के अभियोजन के भार से उसे मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह धारा उन प्रकरणों में लागू होगी, जहां अभियोजन कुछ ऐसे तथ्यों को सिद्ध करने में सफल रहा है, जिनके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त, ऐसे तथ्यों के संबंध में विशेष ज्ञान होने के कारण, कोई ऐसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए, जिससे न्यायालय को भिन्न निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जा सके।"

इसी प्रकार, विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 306 में इस न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया:-

"14- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन को अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है। केवल जब अभियोजन का प्रकरण सिद्ध हो जाता है, तभी ऐसे तथ्यों के संबंध में, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, उन्हें स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर डाला जा सकता है। निस्संदेह, उक्त नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जहां किसी विधि के कारण अभियुक्त पर प्रमाण का भार डाला जा सकता है।"

27- अत्यधिक सावधानी बरतते हुए तथा यह भी पता लगाने के लिए कि क्या अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 के बयानों के अनुसार आरोपित धारा के आवश्यक तत्व परिलक्षित/पूरे होते हैं अथवा नहीं, हमने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों के संबंध में उपर्युक्त उद्धृत सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में आक्षेपित निर्णय में लिपिबद्ध सूचनाकर्ता अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 के बयानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

28- एक बार प्रारंभिक भार का निर्वहन हो जाने के पश्चात, अभियुक्त पर अपनी निर्दोषता अथवा प्रश्नगत अपराध में कथित संलिप्तता का स्पष्टीकरण देने का भार स्थानांतरित हो जाता है।

29- अ.सा.-1 ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि दुकानदार वीर पाल ने उसे बताया कि जब उसका पुत्र उसकी दुकान पर समोसा खा रहा था, तभी अभियुक्त ने उसके मोबाइल पर फोन किया और उसके पश्चात दोनों दिनांक 26.07.2021 को सायं 6:00 बजे शौच के लिए साथ-साथ चले गए। उसने यह भी कहा कि उसके भाई मुन्ना लाल ने भी उसे बताया कि उसने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ सायं 5:45 बजे तालाब की ओर जाते हुए देखा था। मुन्ना लाल ने यह तथ्य उसे दिनांक 26.07.2021 को सायं 6:00 बजे बताया था। वीर पाल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने उसे यह नहीं बताया था कि मृतक ने दिनांक 26.07.2021 की शाम को समोसा खाया था। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने भी दिनांक 26.07.2021 को वीर पाल की दुकान पर अपने पुत्र संदीप को समोसा खाते हुए देखा था। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त नीतेंद्र ने उसके पुत्र की हत्या के संबंध में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी।

अभियुक्त ने मृतक का मोबाइल तथा हमले में प्रयुक्त हथियार अर्थात् डंडा एवं ईंट भी बरामद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कराए। तथापि, इस साक्षी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि मृतक का मोबाइल उस स्थान से दो कदम की दूरी पर बरामद हुआ, जहां झाड़ियों के पास मृतक का शव मिला था। उसने यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि कथित अपराध में प्रयुक्त हथियार भी उस स्थान से दो कदम की दूरी पर बरामद हुआ, जहां मृतक का शव बरामद किया गया था। अ.सा.-1 के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ही उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, फिर भी इसके बावजूद अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में न लिखे जाने के संबंध में कोई न्यायोचित स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इससे अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

30- मुन्ना अ.सा.-2 (मृतक का सगा चाचा) ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि उसने दिनांक 26.07.2021 को सायं 7:00 बजे मृतक को अभियुक्त नीतेंद्र के साथ कमला देवी स्कूल की ओर जाते हुए देखा था। उसने यह तथ्य अपने भाई अर्थात् सूचनाकर्ता अ.सा.-1 को दिनांक 27.07.2021 को प्रातः 8:00/8:30 बजे बताया था। तथापि, अ.सा.-2 ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर पंचायतनामा कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात पहुंचा था, हालांकि जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां मृतक का शव बरामद हुआ था, तब तक शव को सील नहीं किया गया था। उसका भाई गणेशी प्रसाद-सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) तथा परिवार के अन्य सदस्य वहां उपस्थित थे। उसने यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि शव के पास कोई हथियार नहीं था, तथापि, वहां एक ईंट एवं एक डंडा पड़ा हुआ था, जिन्हें पुलिस ने उठा लिया था। इस साक्षी (अ.सा.-2) ने यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उसने मृतक एवं अभियुक्त को तालाब के पास नहीं देखा था, बल्कि उसने उन्हें तालाब से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर देखा था। उसने आगे कहा कि उसने अपने भाई (अ.सा.-1-सूचनाकर्ता) को बताया था कि उसने अभियुक्त एवं मृतक को सायं 7:00 बजे देखा था, जब वह सायं 6:15 बजे काम से निकला था। उसने आगे पुष्टि की कि उसने अपने भाई को यह बात दिनांक 27.07.2021 को प्रातः 8:00 बजे बताई थी।

31- शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, अ.सा.-3 ने अपने बयान में कहा है कि मृतक के शरीर पर ग्यारह मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गई थीं, जिनमें से चार मृत्यु-पूर्व चोटें चीरा हुआ



घाव थीं। उनकी राय में चारों चीरा हुए घाव किसी धारदार हथियार से कारित किए जा सकते थे तथा वे डंडे अथवा ईंट से कारित नहीं किए जा सकते थे।

32- अंतिम बार देखे जाने के कथित साक्षी अर्थात् वीर पाल अ.सा.-5, रामदीन @ रामाधीन अ.सा.-7 तथा खेमचंद्र अ.सा.-8 पक्षद्रोही हो गए हैं।

33- उप-निरीक्षक दीपक तिवारी अ.सा.-6, जिन्होंने पंचायतनामा कार्यवाही की थी, ने निष्पक्ष रूप से बयान दिया है कि उन्होंने दिनांक 27.07.2021 को सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) से पूछा था कि उसका पुत्र कितने समय से लापता है और वह कहां गया था, तथापि उस समय सूचनाकर्ता को यह जानकारी नहीं थी कि उसका पुत्र किसी के साथ गया था अथवा नहीं। इस साक्षी (अ.सा.-6) ने पंचायतनामा कार्यवाही के समय मृतक के शव के पास एक डंडा तथा 2-3 ईंटें भी पाईं, तथापि उसने उन वस्तुओं को कब्जे में नहीं लिया, ताकि उन्हें भौतिक प्रदर्श के रूप में सम्मिलित किया जा सके।

34- निरीक्षक राजेश चंद्र त्रिपाठी अ.सा.-9 ने कहा है कि विवेचना के दौरान उसे यह सूचना मिली कि मृतक को अंतिम बार मंगल सिंह की दुकान पर समोसा खाते हुए देखा गया था। उसने मृतक एवं अभियुक्त की सी.डी.आर. प्राप्त की। तथापि, उसके परिशीलन से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने अपने मोबाइल संख्या 8887882993 से मृतक के मोबाइल संख्या 9569115689 पर दिनांक 27.07.2021 को 19:21:44 बजे तथा 19:26:16 बजे दो बार फोन किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक की सी.डी.आर. अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और केवल अभियुक्त की सी.डी.आर. उपलब्ध है। उसने दिनांक 29.07.2021 को मंगल सिंह का बयान दर्ज किया, जिसने कहा कि मृतक ने इस दुकान पर सायं 6:00 बजे समोसा खाया था। अ.सा.-9 ने आगे कहा कि विवेचना के दौरान न तो सूचनाकर्ता और न ही मृतक के चाचा ने उसके समक्ष मृतक एवं अभियुक्त के बीच किसी प्रतिकूल बात का खुलासा किया।

35- अ.सा.-1 अंतिम बार देखे जाने का साक्षी नहीं है। मृतक के सगे चाचा मुन्ना @ मुन्नालाल को अंतिम बार देखे जाने के साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है। अंतिम बार देखे जाने के अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। अ.सा.-2 ने कहा है कि उसने दिनांक 27.07.2021 की सुबह अपने भाई अ.सा.-1 को बताया था कि उसने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ जाते हुए देखा था। अ.सा.-1 ने भी कहा है कि वीर पाल ने भी उन्हें अंतिम बार साथ-साथ देखा था। इस विशिष्ट जानकारी के होते हुए भी संबंधित थाने में प्रारंभ में एक साधारण मृत्यु सूचना रिपोर्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(फौती रिपोर्ट) दी गई, जिसके आधार पर सूचनाकर्ता अ.सा.-1 एवं उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में मृतक का पंचायतनामा तैयार किया गया। जब पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त हो गई, उसके पश्चात अ.सा.-2 घटनास्थल पर पहुंचा। अतः अ.सा.-1 को अपने पुत्र का शव बरामद किए जाने के समय भी पूर्णतः जानकारी थी कि उसका पुत्र अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से प्रारंभ में एक साधारण मृत्यु सूचना रिपोर्ट दी गई। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि मृतक के शव के पोस्टमार्टम के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर भी अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तक अ.सा.-1 को यह जानकारी नहीं थी कि मृतक को किसी व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखा गया था। अ.सा.-6 के बयान में भी यह बात सामने आई है कि पंचायतनामा तैयार करते समय उसने सूचनाकर्ता से पूछा था कि उसका पुत्र कितने समय से लापता है और वह कहाँ गया था, तथापि उसने (अ.सा.-1) यह नहीं बताया कि उसका पुत्र अभियुक्त के साथ गया था। अतः हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन के प्रकरण को सुदृढ़ करने के लिए अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को बाद में गढ़ा गया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.-1 ने कहा है कि उसके भाई अ.सा.-2 ने दिनांक 26.07.2021 को सायं 5:45 बजे तालाब के पास मृतक एवं अभियुक्त को देखा था, जबकि अ.सा.-2 ने कहा है कि उसने उन्हें सायं 7:00 बजे तालाब से लगभग 200 मीटर की दूरी पर सड़क पर देखा था। उनके बयानों में यह स्पष्ट विरोधाभास न केवल अ.सा.-1 की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि अ.सा.-2 के साक्ष्य पर भी संदेह उत्पन्न करता है। हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन इस प्रकार यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, अथवा दूसरे शब्दों में, स्वयं उस कहानी को सिद्ध करने में विफल रहा है, जिसे अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया था।

36- इसके अतिरिक्त, साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि मृतक का मोबाइल फोन तथा हमले में प्रयुक्त कथित हथियार अर्थात् डंडा एवं ईंटें, मृतक के शव के पास पंचायतनामा के समय ही उपलब्ध थे। वे मुश्किल से दो कदम की दूरी पर पड़े हुए थे। पंचायतनामा तैयार करने वाले अ.सा.-6 के बयान से भी यह तथ्य सामने आया है कि घटनास्थल पर पंचायतनामा की कार्यवाही के समय इन आपत्तिजनक वस्तुओं को देखने के बावजूद उसने डंडे एवं ईंटों को अपने कब्जे/अभिरक्षा में नहीं लिया था। अतः कथित बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध है और इस प्रकार उस पर भरोसा किया जाना उचित नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



37- शव परीक्षणकर्ता ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि चीरा हुए घाव न तो डंडे से और न ही ईंट से कारित किए जा सकते थे और इसलिए अभियोजन का यह प्रकरण कि मृतक को वे चोटें विवेचना अधिकारी द्वारा बरामद ईंटों एवं डंडे से कारित की गई थीं, विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और इस प्रकार उस पर भरोसा किए जाने योग्य नहीं है।

38- अ.सा.-1 ने अपने बयान में अभियुक्त की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में कहा है। तथापि, इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि अभियुक्त ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति उस समय की थी जब वह पुलिस अभिरक्षा में था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अभियोजन का प्रकरण यह है कि जब अभियुक्त अभिरक्षा में था, तब उसने कुछ जानकारी प्रकट की थी। जिसके आधार पर वस्तुएं अर्थात् मृतक का मोबाइल फोन तथा हमले में प्रयुक्त हथियार अर्थात् ईंट एवं डंडा बरामद किए गए। हम पहले ही कथित बरामदगियों को संदिग्ध एवं भरोसा किए जाने योग्य नहीं पाए हैं।

39- इसके अतिरिक्त, सूचनाकर्ता (अ.सा.-1) ने अभियुक्त के घर से होकर जाने वाली विद्युत लाइन के संबंध में विवाद के कारण अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित किए जाने का उद्देश्य आरोपित किया है। तथापि, विवेचना के दौरान कथित उद्देश्य ताश खेलने के दौरान हुए झगड़े के रूप में पाया गया। अ.सा.-2 ने अभियुक्त अथवा उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से इनकार किया है। अतः अभियोजन अभियुक्त की ओर से घटना के पीछे के उद्देश्य को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अभियोजन प्रश्नगत अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा है।

40- उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन कथित अपराध के पीछे किसी उद्देश्य को सिद्ध करने में विफल रहा है। हथियारों की कथित बरामदगी के संबंध में अभियोजन का प्रकरण अत्यधिक संदिग्ध है। इस प्रकार अभियोजन किसी भी ऐसी परिस्थिति को सिद्ध करने में विफल रहा है, पूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को सिद्ध करना तो दूर की बात है, जो अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 को मृतक की कथित हत्या से जोड़ सके। अतः हमारी सुविचारित राय में अवर न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि अभियोजन अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 की मृतक की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हत्या में संलिप्तता को इंगित करने वाली किसी भी परिस्थिति को सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है, उपलब्ध साक्ष्य के उचित एवं विधिसम्मत मूल्यांकन पर आधारित है।

41- उच्चतम न्यायालय ने "भास्करराव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य", (2018) 6 एससीसी 591 के प्रकरण में पैराग्राफ संख्या 15 एवं 23 में निम्नवत् टिप्पणी की है:-

15- रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, 1996 आपराधिक एलजे 2867 में इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी:

"इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से अपनाया जा सकता है, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए वैध एवं पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि साक्ष्य से निपटने के संबंध में विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्टतः अवैध था अथवा उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः अस्थिर थे। दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर तलाशना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष स्पष्टतः गलत, प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण अथवा प्रत्यक्ष रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में देता है, तो दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

"23- प्रकरण के विश्लेषण की ओर अग्रसर होने से पूर्व, हमें सर्वप्रथम उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकरण की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय द्वारा किस मानक को लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पूर्ण विचारण के पश्चात ठोस तर्कों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निष्कर्ष निकाला है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय पर अभियुक्त की निर्दोषिता की पुनः पुष्टि करने का अतिरिक्त दायित्व होता है। ऐसे प्रकरणों में अपीलीय न्यायालय से अत्यंत सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है और दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए, जब इसके लिए बाध्यकारी कारण एवं ठोस आधार विद्यमान हों। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश पारित किया गया है, फिर भी अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा, विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किए जाने से और अधिक सुदृढ़ हो जाने के कारण, उस न्यायालय के निष्कर्ष, जिसे साक्षियों को देखने और उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ प्राप्त था, केवल अत्यंत ठोस एवं बाध्यकारी कारणों से ही उलटे जा सकते हैं (सूरजपाल सिंह एवं अन्य बनाम द स्टेट, 1952 आपराधिक एलजे 331 देखें)।"

42- उपर्युक्त की गई चर्चा के आलोक में तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विधि को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय ठोस कारणों पर आधारित है। हमें उक्त निर्णय में ऐसी कोई विकृति नहीं मिलती है, जिससे अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके, क्योंकि अवर न्यायालय ने न तो अभिलेख पर उपलब्ध किसी साक्ष्य की उपेक्षा की है और न ही उसने अभिलेख पर उपलब्ध किसी साक्ष्य अथवा उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है। अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन का तार्किक परिणाम है। वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख से साक्ष्य के गलत पठन अथवा किसी साक्ष्य के लोप की ओर संकेत नहीं किया जा सका। तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के नाते, हमने स्वयं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया है कि यह पता लगाया जा सके कि विचारण न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है अथवा अभिलेख पर उपलब्ध किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य या उद्देश्य की उपेक्षा की है। तथापि, अभिलेख से हमें ऐसा कोई तथ्य प्राप्त नहीं हो सका, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के औचित्य के विरुद्ध है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप दृष्टिकोण ही संभव है। अतः हमें धारा 413 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत दाखिल वर्तमान अपील पर विचार करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता है, जो फलतः विफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

13 अगस्त, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।